संख्या-20/2024/1985/001-1356-23-10-22-2024

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांक 25 नवम्बर, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राज्य योजना (शहरी) के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 13 शहरी लघु नये सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के निम्नांकित पत्रों का कृपया सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें :-

क्र0	पत्र संख्या एवं दिनांक
1	311/प्रा0आ0/शहरी योजना/झॉसी क्षेत्र/बी0एम0सी0/24 दि0 23.08.2024
2	777/प्रा0आ0/राज्य योजना/मीरजापुर क्षेत्र/सेतु-3/24 दि0 20.08.2024
3	310/नदी सेतु//झॉसी क्षेत्र-झॉसी-बबीना-मार्ग/बी0एम0सी0/24-25 दि0 23.08.2024
4	870/प्रा0आगणन-आगरा/02लघु सेतु/सेतु-6/24-25 दि0 10.09.2024
5	806/प्रा0आगणन-अयोध्या/02लघु सेतु/सेतु-3/24-25 दि0 23.08.2024
6	874/प्रा0आगणन-बरेली/01लघु सेतु/सेतु-6/24-25 दि0 11.09.2024
7	397/प्रा0आ0/राज्य योजना(शहरी)/चित्रकूट क्षेत्र/बी0एम0सी0/24 दि0 11.09.2024
8	401/प्रा0आ0/राज्य योजना (शहरी)/मध्य क्षेत्र/बी0एम0सी0/24, दिनांक 11.09.2024

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राज्य योजना (शहरी) के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 13 शहरी लघु नये सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु कुल लागत 2758.96 लाख (रूपये सत्ताइस करोड़ अट्ठावन लाख छियानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने तथा उसके सापेक्ष निम्न तालिका के कॉलम-5 में अंकित अनुदान सं0-57 से रू0 1599.89 लाख व कॉलम-6 में अनुदान सं0-83 से रू0 430.68 लाख अर्थात कॉलम-7 में अंकित कुल धनराशि रू0 2030.57 लाख (रूपये बीस करोड़ तीस लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों व प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटन की फांट			कार्यदायी संस्था
				अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	झॉसी	जनपद झॉसी में बबीना टूँका मार्ग के किमी0-6 में लघु सेतु का निर्माण कार्य	157.78	99.45	26.77	126.22	लो0नि0वि0
2	बाराबंकी	जनपद बाराबंकी में पुराना एन0एच0-28 लखनऊ-फैजाबाद-गोरखपुर-मोकामा (बाराबंकी शहरी भाग) मार्ग के किमी0 27 में जमुरिया नाले पर 3x10 मी0 आर0सी0सी0 लघु सेतु व पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	320.26	201.87	54.34	256.21	लो0नि0वि0
3	बाराबंकी	जनपद बाराबंकी में विकास खण्ड कोडीडीह जगहनेटा मार्ग के किमी0-3 में रेठ नदी/जमुरिया नाले पर 3 x10 मी0 आर0सी0सी0 लघु सेतु व पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	287.97	181.52	48.86	230.38	लो0नि0वि0
4	मीरजापुर	जनपद मीरजापुर में एन0एच0-7 के शहरी छूटा भाग मार्ग पर गॉधी घाट पर 3 x8 मी0 लघु सेतु के निर्माण कार्य	416.20	262.34	70.62	332.96	लो0नि0वि0
5	पीलीभीत	जनपद पीलीभीत में पीलीभीत माधोटांडा कलीनगर शाहगढ़ आसाम मार्ग के किमी0-3 में स्थित सड़ा नाला पर 4 x6 मी0 स्पान का आर0सी0सी0 लघु सेतु, पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	205.85	129.75	34.93	164.68	लो0नि0वि0
6	मथुरा	जनपद मथुरा में गोवर्धन बाईपास मार्ग के किमी0-3 में लघु सेतु का नवनिर्माण का कार्य	70.61	44.51	11.98	56.49	लो0नि0वि0
7	मथुरा	जनपद मथुरा में गोवर्धन बाईपास मार्ग के किमी0 5 में लघु सेतु का नवनिर्माण का कार्य	71.61	45.14	12.15	57.29	लो0नि0वि0
8	उन्नाव	जनपद उन्नाव में बिलग्राम-उन्नाव-प्रयागराज मार्ग (राज्य मार्ग-38) के कि0मी0-86 में 1 x6 मी0 स्पान के बाक्स कल्वर्ट एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	106.47	67.11	18.07	85.18	लो0नि0वि0
9	लखनऊ	इमलीबांधन से गोयला इंडस्ट्रियल एरिया मार्ग पर क्षतिग्रस्त आर्च लघु सेतु के स्थान पर 3x6 मीटर आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट का नवनिर्माण कार्य।	168.99	106.52	28.67	135.19	लो0नि0वि0
10	लखनऊ	चमराही सम्पर्क मार्ग पर छतिग्रस्त ह्यूम पाइप कल्वर्ट के	83.44	52.59	14.16	66.75	लो0नि0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

		स्थान पर 1x6 मीटर आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट का नवनिर्माण कार्य।					
11	लखनऊ	फुसपुरवा से बवुरिहा वाया माधव ग्रीन सिटी मार्ग पर क्षतिग्रस्त ह्यूम पाइप कल्वर्ट के स्थान पर 1x6 मीटर आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट का नवनिर्माण कार्य।	83.33	52.52	14.14	66.66	लो0नि0वि0
12	बांदा	जनपद बांदा में बांदा-बाईपास (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 18.600 पर स्थित नहर पर लघु सेतु के चौड़ीकरण का कार्य।	197.76	124.65	33.56	158.21	लो0नि0वि0
13	झॉसी	जनपद झॉसी में झॉसी-बबीना मार्ग (ओ0डी0आर0) के किमी0-10 में लघु सेतु का निर्माण कार्य	588.69	231.92	62.43	294.35	लो0नि0वि0
		योग:-	**2758.96**	**1599.89**	**430.68**	**2030.57**	

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) विभागाध्यक्ष व संबंधित अधिकारीगण, व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/दस-2011-17(4)/75 दि0 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए0-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दि0 11.11.2014 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभागाध्यक्ष/ संबंधित अधिकारी द्वारा जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी ।

(10) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अत: भूमि का क्रय विभागाध्यक्ष द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) विभागाध्यक्ष द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी, उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(12) प्रायोजना की लागत का अनुमोदन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तररदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(15) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(16) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(17) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(18) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या -02/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(19) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्युत/यांत्रिक खण्डों से संबंधित धनराशि मुख्यालय से सीधे विद्युत/यांत्रिक खण्डों (जिसके द्वारा कार्य किया जाना है) को आवंटित की जायेगी।

(20) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/ बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024 दिनांक 19.06.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 15,99,89,000 (रुपये पन्द्रह करोड़ निन्यानबे लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010405 शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (नये कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 4,30,68,000 (रुपये चार करोड़ तीस लाख अड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047890405 शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (नये कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8- 247-X-2024-25-दिनांक: 17.10.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
4- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
5- संबंधित कोषाधिकारी।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2।
8- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।